# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक / उ0प्रा0वि0 मान्यता / 25864 / 2018—19 दिनॉक 18 / 03 / 2019

प्रबन्धक,
ए0पी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल उझानी
वि0क्षे0 उझानी (बदायूँ)

आपके आवेदन दिनॉक 15.02.2019 द्वारा अपने विद्यालय ए0पी0एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, उझानी, बदायूँ जिसे इस कार्यालय के पत्रांक: शि0स0 / 1775—79 / 2013.14 दिनॉक 31.05.2014 द्वारा प्री—प्राइमरी से कक्षा—08 तक की अंग्रेजी माध्यम से दिनॉक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी, को स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश सं0: 419 / 79—6—2013—18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग—6 लखनऊ दिनॉक 08.05.2013 के बिन्दु सं0—15 *"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"* अतः आपके विद्यालय के विरूद्ध 03 वर्ष में किसी प्रतिकूल तथ्य के संज्ञानित न होने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, उझानी की आख्या के आधार पर शासन / विभाग द्वारा विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में लिये जाने वाले अग्रिम निर्णयों के अधीन शासनादेश दिनॉक 08.05.2013 के बिन्दु सं0—15 के अन्तर्गत मान्यता मान्य रहेगी।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

11 junior Manyata English (A.K. Bhaskar) 2018.19

Old

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ (उत्तर–प्रदेश)

पत्रांक : शि०स०/ 1775-79 /2013–14 दिनाँक : 31-05-2014

सेवा में,

प्रबन्धक,

ए.पी.एस. इन्टरनेशनल स्कूल उझानी (अंग्रेजी माध्यम)

(बदायूँ)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 के नियम–15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 27.08.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं ......... जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ, .. ए.पी.एस. इन्टरनेशनल स्कूल उझानी (बदायूँ) ..................को तारीख....01 जुलाई 2013.....से तारीख.....30 जून 2016....तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा....नर्सरी.....से कक्षा....8....तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

7 विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–

1 प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

Principal
APS International School
Ujhani (Budaun)

क्रमशः ........2 पर

//Praveen/Manyta

MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
UJHANI BUDAUN (U.P.)

2– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

3– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

4– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

5– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

6– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

7– अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

8– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नही करेगा।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 7730.00 वर्ग मी.

कुल निर्मित क्षेत्र 1116.40 वर्ग मी.

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल 5010.00 वर्ग मी.

कक्षाओं की संख्या 17

प्राध्यापक–सह कार्यालय सह भण्डरागार के लिए कक्ष 04

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 15+15 = 30

पेयजल सुविधा समरसेबिल + आर. ओ.

मि–डे मील पकाने के लिए रसोई है

बाधारहित पंहुच हां

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता। पर्याप्त है

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

क्रमशः ..........3 पर

Principal
APS International School
Ujhani (Budaun)

//Praveen/Manyta

MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
UJHANI, BUDAUN (U.P.)

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकांउटेण्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 - आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 05/2013-14 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

16 - सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गये है उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पृ०सं० : शि०सं० /                    /2013–14 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल, बरेली।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

Principal
APS International Scho
Ujhani (Budaun)

MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
UJHANI, BUDAUN (U.P.)

//Praveen/Manyta